भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4788

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' का विस्तार और प्रभावशीलता

†4788. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (एबी-पीएमजेएवाई) के विस्तार और प्रभावशीलता में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार की घरेलू दवा विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए क्या योजना है; और
(ग) भारत के डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य-तकनीक स्टार्टअप और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए क्या नीतियां अपनाई जा रही हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

भारत सरकार ने जनवरी 2022 में लाभार्थी आधार को पहले के 10.74 करोड़ परिवारों से संशोधित कर 12 करोड़ परिवार कर दिया। इसके अलावा, मार्च 2024 में, इस योजना के तहत पात्रता मानदंड का विस्तार करके इसमें 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल किया गया। इसके अलावा दिनांक 29.10.2024 को, सरकार ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का

विस्तार किया। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने गैर-एसईसीसी डेटा स्रोतों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य विशिष्ट डेटासेट सहित) का उपयोग करके योजना के तहत लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है।

नवीनतम स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों को 30,957 सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से 27 चिकित्सा विशेषताओं में 1,961 प्रक्रियाओं के लिए उपचार प्रदान किया जाता है, जिसमें 13,866 निजी अस्पताल और 17,091 सार्वजनिक अस्पताल शामिल हैं।

दिनांक 01.03.2025 तक, इस योजना के तहत ₹1.26 लाख करोड़ मूल्य के 8.9 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है।

(ख): फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने बताया है कि भारत सरकार ने सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयवों (एपीआई) सहित आयातित फार्मास्यूटिकल दवाओं पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) / औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ("थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना") का वित्तीय परिव्यय 6,940 करोड़ रुपये है और उत्पादन अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक है। वित्तीय प्रोत्साहन पहचाने गए उत्पादों के विनिर्माण के लिए दिया जाना है। योजना के तहत कुल 48 परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिनमें से 25 थोक दवाओं के लिए 34 परियोजनाएं अधिकृत कर दी गई हैं। 3,938.57 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में, योजना के तहत 4,253.92 करोड़ रुपये का निवेश जारी किया गया है। दिसंबर 2024 तक, योजना के तहत आवेदकों द्वारा की गई संचयी बिक्री 1,556.04 करोड़ रुपये है जिसमें 412.42 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।
ii. फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजना, जिसका वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है और उत्पादन अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक है, तीन श्रेणियों के तहत उत्पादों के विनिर्माण के लिए 55 चयनित आवेदकों को छह साल की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। 17,275 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में, इस योजना के तहत 34,770.57 करोड़ रुपये का निवेश जारी किया गया है। दिसंबर 2024 तक, योजना के तहत आवेदकों द्वारा की गई संचयी बिक्री 2,34,569.27 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,49,419.68 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।
iii. बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत, तीन बल्क ड्रग पार्कों के विकास को मंजूरी दी गई है, जिनमें से एक भरूच (गुजरात), नक्कापल्ली (आंध्र प्रदेश) और ऊना (हिमाचल प्रदेश) जिलों में है।

इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी ढाँचा सुविधा केन्द्रों के निर्माण के माध्यम से बल्क ड्रग्स के निर्माण की लागत को कम करना है। भारत सरकार इन परियोजनाओं को प्रति पार्क 1,000 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता दे रही है। ये पार्क विकास के विभिन्न चरणों में हैं। परियोजनाओं के तहत समर्थित सामान्य बुनियादी ढाँचा सुविधा केन्द्रों में अपशिष्ट उपचार संयंत्र, सीवरेज उपचार संयंत्र, भाप उत्पादन और आपूर्ति, उपचार भंडारण और निपटान सुविधा केंद्र, विलायक पुनर्प्राप्ति प्रणाली, कच्चे पानी की आपूर्ति, उत्कृष्टता केंद्र आदि शामिल हैं।

(ग): भारत सरकार ने सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। एबीडीएम में प्रमुख रजिस्ट्रियां शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए), हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर), स्वास्थ्य सुविधा केंद्र रजिस्ट्री (एचएफ़आर) और ड्रग रजिस्ट्री जैसी रजिस्ट्रियां बनाना है। निजी अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएनआईएस), लैब प्रबंधन सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर) ऐप कंपनियां एबीडीएम के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर सकती हैं और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ा सकती हैं। एबीडीएम के साथ एकीकरण करके, ये कंपनियाँ स्वास्थ्य डेटा का आदान-प्रदान कर सकती हैं, जिससे रोगी की सहमति से मेडिकल रिकॉर्ड का सुरक्षित भंडारण, पहुँच और साझाकरण संभव हो सकेगा। आज की तारीख में, 222 निजी डिजिटल स्वास्थ्य समाधान एबीडीएम के साथ एकीकृत हैं। इसके अलावा, निजी और सार्वजनिक डिजिटल स्वास्थ्य कंपनियों और अस्पतालों को अंतर-संचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए दिनांक 01.01.2023 को एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (डीएचआईएस) भी शुरू की गई है।

*****